207 47 केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) में यूनियनबद्ध कामगारों के लिए मजदूरी के संबंध में मोलभाव के 7वें दौर (द्वितीय भाग) के लिए नीति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार के निर्णय के अनुसार केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) में कार्यरत कामगारों के साथ मजदूरी संबंधी मोलभाव का अगला दौर शुरू किया जाए और उद्यमों के प्रबंधन द्वारा ट्रेड यूनियनों और एसोसिएशनों के साथ बातचीत की जाए।

2. मजदूरी के संबंध में मोलभाव और अंतिम रूप दिया जाना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :

i. संबंधित सीपीएसई का प्रबंधन ऐसे किसी वेतन संशोधन के फलस्वरूप होने वाले व्यय का भार वहन करने और अपने वित्तीय स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए अपने कामगारों के लिए वेतन संशोधन के संबंध में बातचीत करने के लिए स्वतंत्र होगा, जहां वेतन संशोधन के लिए निर्धारित 5 वर्ष की अवधि सामान्यतया 31.12.2011 को समाप्त हो गई है।

ii. सरकार द्वारा वेतन में किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी के लिए कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। इस मद में होने वाले पूरे व्यय को संबंधित सीपीएसई द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाएगा।

iii. कार्यपालकों/गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतनमानों को लेकर उनके कामगारों के साथ किसी भी प्रकार का मतभेद अथवा विरोधाभास न हो, इस बात से बचने के लिए सीपीएसई मजदूरी के संबंध में ट्रेड यूनियनों/एसोसिएशनों के साथ मोलभाव करते समय ग्रेड युक्त महंगाई भत्ता न्यूट्रल करने और/अथवा ग्रेड युक्त फिटमेंट लाभ प्रदान करने पर विचार कर सकता है।

iv. संबंधित सीपीएसई के प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मोलभाव के आधार पर निर्धारित किए गए वेतनमानों में संबंधित सीपीएसई के कार्यपालकों/अधिकारियों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों की मौजूदा वेतनमानों के साथ किसी भी प्रकार का मतभेद अथवा टकराहट नहीं होगी।

v. सीपीएसई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मोलभाव के बाद मजदूरी अथवा वेतन में किसी भी प्रकार की वृद्धि के परिणामस्वरूप उनके माल और सेवाओं में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी।

vi. वेतन संशोधन इस शर्त के अध्यधीन होगा कि उनके आउटपुट की प्रत्येक भौतिक यूनिट की श्रम लागत में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। आपवादिक मामलों, जहां उद्योग जगत की शर्तों को ध्यान में रखते हुए सीपीएसई पहले से ही अधिकतम क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं, में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग डीपीई के साथ परामर्श कर सकता है।

vii. जहां तक बीआईएफआर/बीआरपीएसई के साथ पंजीकृत रुग्ण सीपीएसई का संबंध है, तो ऐसे सीपीएसई में कार्यरत कामगारों का वेतन संशोधन करने की तब तक अनुमति नहीं

होगी, जब तक कि वह सीपीएसई ऐसे सीपीएसई की पुनरुद्धार योजना में बीआईएफआर/बीआरपीएसई द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है।

viii. वेतन निर्धारण की वैधता अवधि न्यूनतम 5 वर्ष होगी, जो 01.01.2012 से शुरू होगी। केवल ऐसे सीपीएसई के कामगार ही न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि में अगले वेतन संशोधन (सामान्यतः 01.01.2012 से) के संबंध में मोलभाव के लिए आगे आ सकते हैं, जिन्होंने 01.01.2007 से वेतन संशोधन के लिए 5 वर्ष की अवधि का विकल्प चुना है।

ix. सीपीएसई अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग से इस बात की पुष्टि के प्श्चात ही मोलभाव के आधार पर यथा निर्धारित वेतन संशोधन का कार्यान्वयन करेंगे कि उनके द्वारा किया गया वेतन संशोधन अनुमोदित मानदंडों के अनुरूप है।

3. सरकार के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई को इस आशय के उपयुक्त अनुदेश दें और इसकी सूचना इस विभाग को भी दें।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 02 (110)/11– डीपीई–(डब्ल्यूसी)–जीएल– **XVI**/13, दिनांक 13 जून 2013)

****